कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / मा–स / 22423 / 2018–19 / 226 दिनांक 17/07/2018

समस्त संस्था प्रधान
रामावि / राबामावि, राउमावि / राबाउमावि

विषयः– विद्यालय विकास योजना बनाने हेतु दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि सभी राजकीय विद्यालयों में अध्यापक अभिभावक परिषद, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से वार्षिक विद्यालय विकास योजना का निर्माण दिनांक 31 जुलाई से पूर्व किया जाना है। इस हेतु विद्यालय विकास योजना का प्रारूप तथा तैयार करने के दिशा निर्देश संलग्न कर भेजे जा रहे है। प्रत्येक विद्यालय उक्त योजना में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक गतिविधियों को योजना में सम्मिलित किया जा सकता है।

प्रत्येक संस्था प्रधान का दायित्व है कि योजना को एसएमडीसी, एसएमसी तथा अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक में प्रस्तुत करें। योजना क्रियान्वयन के दायित्व में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करें। तैयार योजना की एक प्रति विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें, जिसमें निर्धारित अवधि उपरांत प्रगति का अंकन किया जावे। एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 15 अगस्त से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के शैक्षिक प्रकोष्ठ को जमा कराई जावे।

संलग्न– विद्यालय विकास योजना प्रारूप एवं दिशा निर्देश

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव ,शिक्षा सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि जिशिअ से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ योजना में से मण्डल की एक योजना 15 सितम्बर तक निदेशालय को भेजेंगे।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम / द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय विद्यालयों से संलग्न प्रपत्र में स्कूल डवलपमेंट प्लान ट्रेकर ऑनलाईन भरवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा प्राप्त SDP में से सर्वश्रेष्ठ दो विद्यालय विकास योजना को संबंधित उप निदेशक महोदय को दिनांक 31.08.2018 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. स्टॉफ आफिसर कार्या हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

विद्यालय विकास योजना बनाने के लिये दिशा निर्देश

प्रत्येक राजकीय विद्यालय द्वारा 'विद्यालय विकास योजना' प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति दोनों के द्वारा तैयार किया जाएगी। विद्यालय विकास योजना पर एसडीएमएसी के अध्यक्ष, सभा अध्यक्ष (समुदाय से ही होंगे), एसएमएसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

1. विद्यालय विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य

- विद्यालय का नामांकन दर आदर्श नामांकन संख्या तक लाना।
- माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर 2.5 प्रतिशत से नीचे लाना।
- शिक्षा में गुणवत्ता।
- विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिये भौतिक मानवीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संसाधन उपलब्ध कराना, जिससे कि विद्यार्थी एवं विद्यालय विद्यालय की सहशैक्षिक एवं शैक्षिक विकास का अवसर प्राप्त हो तथा समाज के साथ सह सम्बन्ध स्थापित हो सके।

2. विद्यालय विकास योजना का प्रारूप

- विद्यालय विकास योजना के प्रारूप में उल्लेखित गतिविधियां विद्यालय विकास योजना बनाने के लिये एक मार्गदर्शी रूपरेखा है। प्रत्येक गतिविधि को SDP में लिया जाना आवश्यक नहीं है। विद्यालय स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त आवश्यक गतिविधियों को सम्मिलित कर सकते है तथा तद्नुरूप विद्यालय योजना तैयार करेंगे।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण व्यावहारिक रूप से संभावित एवं उपस्थित संसाधनों के अधिकतम उपयोग को ध्यान मे रख कर किया जावे एवं उसकी प्रगति को अवधि में विभाजित कर लिया जावे।
- प्राथमिकता के आधार पर कार्यों की चयन करना है कार्य के लिए विभिन्न स्त्रोत (प्रोजेक्ट बजट, विकास शेष भामाशाह, जनप्रतिनिधि/पंचायत/जनसहयोग आदि) हो सकते है। आवश्यकता की पूर्ति की समयबद्ध योजना एवं संभावित वित्तीय संसाधनों (राजकीय अथवा समुदायिक) का उल्लेख योजना में हो एवं उक्तानुरूप योजना पूर्ति की दिशा में कार्य किया जावे।
- उक्त योजना में वर्तमान स्थिति का सत्यापन, वास्तविक स्थिति और समाधान के सर्वोत्तम तरीके योजना में हो , जो वित्तीय अथवा सामाजिक हो सकते है। प्रत्येक वर्ग में संख्यात्मक अथवा विवरणात्मक सूचना भरी जा सकती है।

3. विद्यालय विकास योजना का प्रचार प्रसार

- विद्यालय विकास योजना शाला दर्पण पर अपलोड की जावें।
- विद्यालय योजना की तीन प्रतियां तैयार की जावे। पहली ए–4 कागज में छपी संस्था प्रधान की टेबल के नीचे रखी जावे। दूसरी पोस्टर के रूप में विद्याय के नोटिस बोर्ड मे चस्पा की जावे। तृतीय योजना पंजिका में नत्थीबद्ध हो।
- विद्यालय विकास योजना का प्रारूप 31 जुलाई को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सार्वजनिक किया जावे एवं सुझाव मांगे जावे।

- अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तैयार की गई विद्यालय योजना को शाला दर्पण में आवश्यक रूप से अपलोड करेंगे।
- विद्यालय विकास योजना की प्रगति को 15 अगस्त, 2 अक्टुबर तथा 26 जनवरी को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जावे।

4. विद्यालय **योजना की प्रगति**

- विद्यालय विकास योजना की त्रैमासिक समीक्षा कर सकना।
- प्रत्येक तीन माह में विद्यालय योजना की प्रगति, शाला दर्पण पर अपलोड की जावें तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावें
- समीक्षा के दौरान SDP में कार्य की स्थिति अनुसार कार्य के सम्मुख समीक्षा माह में रंगीन गोला :

○ " पूरा कर लिया है " – कार्य शत प्रतिशत पूर्ण होने पर
○ " योजना के अनुसार " – योजना अनुरूप कार्य प्रगति पर हैं
○ " विलंबित है " – कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ हैं या योजना अनुरूप कार्य विलंबित है

5. विद्यालय **विकास योजना का प्रारूप के चरण**

(क) नामांकन **के संबंध में**

- 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं का नामाकंन विद्यालय में हो। केच मेट ऐरिया (प्रवेशोत्सव की गाईड लाईन अनुरूप) के प्रत्येक उक्त आयु वर्ग के बालक–बालिका औपचारिक शिक्षा से वंचित न रहे।
- विद्यालय में उसके संपर्क क्षेत्र के नामांकित बच्चों की संख्या निम्न दो श्रेणियो में योजना बनाये कक्षा 1–8 एवं कक्षा 9–12 पृथक–पृथक योजना बनाई जानी चाहिए।
- हाउस होल्ड सर्वे : 17–18 चिन्हित विद्यालय परिक्षेत्र के विद्यालय से बाहर (Oosc) बच्चों की कुल संख्या (प्रपत्र–1 के अनुसार)।
- सर्वे में चिन्हित (Oosc) बच्चों में से विद्यालय में नामांकित/मुख्य धारा से जुड़ाव (Main streaming) वाले बच्चों की संख्या (प्रपत्र–2 के अनुसार)।
- चिन्हित (Oosc) बच्चों में से नामांकन/मैन स्ट्रीमिंग से वंचित बच्चों की संख्या एवं कारण।
- विद्यालय मध्य में छोडने वाले बच्चों की आयु, विद्यालय से विलम्बित अवधि आदि के आधार पर त्वरित कार्यवाही जैसे अतिरिक्त कक्षाऐं, ब्रिज कोर्स आदि की कार्यवाही करने के प्रयास हों।
- विद्यालय के बच्चे के न आने के कारणों का पता लगाकर उसके निवारण का प्रयास हो।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के सभी 05 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करावें।
- पूर्व विद्यार्थी परिषद् का गठन सुनिश्चित हो तथा इनकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर तय की जाए।

(ख) भौतिक संसाधन

- भामाशाह तथा अन्य राजकीय/गैर राजकीय स्त्रोतों की पहचान कर वित्त प्राप्ति के प्रयास हो, जिसमें स्थानीय भागीदारी हो।
- भौतिक संसाधन की आवश्यकता (आरटीई एवं आदर्श दिशा निर्देश के अनुसार) हो।
- विद्यालय विकास योजना में भौतिक संसाधनों के विकास यथा कक्षा कक्ष निमार्ण, पेयजल व्यवस्था, टायलेट व्यवस्था, रसोईघर एवं खेल मेदान आदि का समावेश हो।
- सभी संसाधन विद्यालय में हो, कियाशील अवस्था में हो एवं विद्यार्थी के लिये उपयोग में आसान हो यह ध्यान रखा जावे। (जैसे पेयजल विद्यार्थी की आसान पहुंच में हो, टायलेट पर ताला न हो और पानी एवं नियमित सफाई की व्यवस्था हो)
- चारदिवारी हो एवं उसके पास वृक्षारोपण भी विकास योजना का भाग होना चाहिये।
- अतिरिक्त मांग/मरम्मत के पूर्ण प्रस्ताव, स्त्रोत का विवरण एवं औचित्य मय संभावित लागत भी योजना का भाग होना चाहिये।
- कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए Abl कक्ष का निर्माण अथवा उपलब्ध कक्ष को रंग–रोगन से तैयार करना।

(ग) मानवीय संसाधनों के संबंध में

- मानवीय संसाधनों की आवश्यकता (आरटीई एवं स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार) एवं पूर्ति के प्रयास, एवं इसमें एडीएमसी का सहयोग भी विद्यालय विकास योजना का भाग हो।
- जिसमें विभाग द्वारा स्वीकृत पद कार्यरत पद व रिक्त पदों की जानकारी हो व रिक्त पदों हेतु उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई जानी चाहिए।

(घ) शैक्षिक गतिविधियों में सहायक संसाधनों के संबंध में

- शिक्षक सहायक सामग्री, टीएलएम एवं उसका उपयोग, वाचनालय कम्प्यूटर, पुस्तकालय, पुस्तकें, दृश्य श्रव्य सामग्री आदि की व्यवस्था एवं उपयोग योजना में सम्मिलित होने चाहिये।

(ङ) सह शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में

- विद्यार्थियों के सही मानसिक एवं शारिरिक विकास के लिए सहशैक्षिक गतिविधियॉ भी आवश्यक है।
- विद्यालय सह शैक्षिक गतिविधियों यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान मेले बालकल्ब, खेलकूद आदि का भी योजना में समावेश हो।

(च) विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधायें

- समिति का दायित्व है कि सभी विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाये ताकि सभी विद्यार्थियों को बाधा रहित मुक्त शिक्षा मिले।
- विद्यार्थी को पौशाक, टासंपोर्ट वाउचर सुविधा को प्रदान करने एवं उसे मोनिटर करने की योजना भी विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित किया जावे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

परिशिष्ट

1. भौतिक संसाधन :–

- **कक्षा–कक्ष** :–विद्यालय में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- **चारदीवारी** :–विद्यालय परिसर में उपर्युक्त चारदीवारी की व्यवस्था हो इसके लिये योजना बनाई जाये अगर पहले से चारदीवारी हो तो वो पर्याप्त ऊँचाई की हो।
- **शौचालय व मूत्रालय** :–छात्र/छात्राओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय पर्याप्त संख्या में होने की योजना बनाई जाये।
- **रेम्प सुविधा** :–दिव्यांग विद्यार्थियों के सुविधानुसार निर्धारित मापदण्डानुसार रैम्प की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- **खेल मैदान व खेल सामग्री** :–प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त समतल व सुविधायुक्त खेल मैदान होना आवश्यक है अगर खेल मैदान की भूमि नहीं हो तो भूमि आवंटन की योजना बनायें और अगर भूमि उपलब्ध है तो वह मैदान व्यवस्थित व खेलकूद के उपयुक्त हो।
- **किचन शैड** :–मध्यान्ह् भोजन पकाने हेतु पक्का किचन शेड होना आवश्यक है जिसके लिये उपलब्ध न होने पर योजना बनाई जायें।
- **विद्युतीकरण** :–विद्यालय में विद्युत कनेक्शन होने के साथ–साथ प्रत्येक कक्षा–कक्ष में फिटिंग होनी चाहिये साथ ही पर्याप्त रोशनी व हवा हेतु प्रकाश व पंखो की व्यवस्था हो इसकी योजना बनाई जानी चाहिए।
- **फर्नीचर सुविधा** :–विद्यालय में प्रत्येक स्तर की कक्षाओं हेतु उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना बनाई जाये।
- **स्वच्छ जल की व्यवस्था** :–विद्यार्थियों को पर्याप्त व शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु योजना बनानी चाहिए।
- **पौधारोपण** :–विद्यालय परिसर को स्वच्छ हरित बनाये रखने हेतु विद्यार्थियों समुदाय व अन्य संस्थाओं के सहयोग से पौधारोपण की योजना बनानी चाहिऐ।
- **सौन्दर्यीकरण व रंग रोगन** :–विद्यालय परिसर साफ सुथरा व सुन्दर प्रदर्शित हो इसके लिये नियमित रूप से उसका रंग रोगन व भित्ति पेन्टिंग आदि की योजना बनाई जानी चाहिये

2. शैक्षिक गतिविधियों में सहायक संसाधनों के संबंध में

- **कम्प्यूटर कक्ष** :–एसएमडीसी का दायित्व है कि प्रत्येक संबंधित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कम्प्यूटर कक्ष की व्यवस्था की जाए जिससे विद्यालय में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर की दक्षता अर्जित करायी जा सके।
- **कम्प्यूटर मय आवश्यक उपकरण** :–प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त संख्या में क्रियाशील कम्प्यूटर्स लेपटॉप प्रिन्टर, स्केनर, वेब केमरा, इन्वर्टर आदि सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चितता की जानी आवश्यक है। सभी कम्प्यूटर लेन (Lane) से जुड़े हो व विद्युत की फीटिंग भी पूर्ण होनी चाहिये।

- **प्रयोगशाला** :–विद्यालय में विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाऐं यथा विज्ञान (भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान) गृहविज्ञान, भूगोल, आदि होनी आवश्यक हैं जिनके द्वारा विद्यार्थियों को विषय का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त हो सके। सभी प्रयोगशालाओं में पर्याप्त फर्नीचर व उपकरणों की उपलब्धता हेतु एसएमडीसी सदस्यों द्वारा निरन्तर प्रगति की समीक्षा बैठकों मे की जावें।
- **पुस्तकालय कक्ष** :–विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति के सदस्यों द्वारा पुस्तकालय कक्ष के निर्माण के प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। उपरोक्त कक्ष के साथ–2 अपेक्षित आलमारियाँ, रैक, रोशनी की समुचित व्यवस्था एवं प्रत्येक सत्र में बालकों हेतु ज्ञानवर्धन व प्रेरणादायी पुस्तकें उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास करने चाहिये। विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय एवं वाचनालय के अधिकतम उपयोग की सुनिश्चितता की जावे ताकि पुस्तकें बालकों द्वारा अधिकतम उपयोग में ली जावें।
- **सुसज्जित कक्षाऐं** :–विद्यालय की सभी कक्षाओं में सुन्दर, आकर्षक व ज्ञानवर्धक शिक्षण–अधिगम सामग्री (टीएलएम), चार्ट, पोस्टर, मॉडल्स आदि प्रदर्शित किये जाने चाहिए। एसएमडीसी द्वारा समय–समय पर विद्यालय का अवलोकन व उत्साहवर्धन भी किया जाना चाहिये। कक्षा–कक्षों में व्यवस्थित रंग–रोगन, हवा रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हेतु विभिन्न भामाशाहों को भी प्रेरित किया जावें।
- **ग्रीन बोर्ड** :–शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु सभी कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता समिति के सदस्यों द्वारा की जाने की योजना बनाई जावें ।
- **इन्टरनेट** :– आईसीटी के इस युग में विद्यालय में इन्टरनेट सुविधा का होना आवश्यक है। एसएमडीसी यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में टेलीफोन इन्टरनेट ब्रॉडबैण्ड की सुविधा हो ताकि शाला दर्पण व विभिन्न सूचनाओं का ऑनलाईन आदान–प्रदान किया जा सके।
- **शिक्षण सहायक सामग्री** :–प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षण सहायक सामग्री की सुनिश्चितता हेतु एसएमडीसी को प्रयास करना चाहिये। प्रत्येक विद्यालय में एसआईक्यूई संबंधी गतिविधियों एवम् सभी विषयाध्यापकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक शिक्षण सामग्री क्रय/उपलब्ध करवाने की योजना एसएमडीसी द्वारा बनाई जावें।
- **निःशुल्क पाठ्य पुस्तके** :–समिति के सदस्यों को विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक कक्षा के सभी विद्यार्थियों हेतु पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए यदि न्यूनता है तो समिति के कुछ सदस्य स्वयं जिम्मेदारी लेकर संबंधित अधिकारी को सूचित करें व पुस्तकों की उपलब्धता हेतु निरन्तर फॉलो–अप करें।

3.सह शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में :–

- **शारीरिक व्यायाम एवं खेलकूद** :–विद्यालयों में अध्यनरत समस्त विद्यार्थियों की उम्र वार कौन–कौन से खेल एवं व्यायाम करवाए जा सकते है। बालिकाओं की भागीदारी भी सूनिश्चित की जावें।
- **बाल सभा/शिक्षा शनिवार** :–प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को बाल सभा और द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को शिक्षा शनिवार का आयोजन विद्यालय में बच्चों के सर्वांगिण विकास हेतु किया जाता है। इनमें विद्यार्थियों की सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु चर्चा का आयोजन किया जावे ।

- **बाल संसद का गठन** :–बाल संसद में निम्न मुद्दो पर चर्चा की जावे:-
    - विद्यार्थियों का शैक्षिक अध्ययन ।
    - शारीरिक एवं मानसिक हिंसा का प्रभाव।
    - विद्यार्थियों की बाल संसद, चाइल्ड राइट क्लब आदि में भूमिका।
    - विद्यार्थियों को यदि कोई शिकायत/परेशानी हो तो कहां सम्पर्क करे।
    - बच्चों की बैठको में सहभागिता कर समस्या समाधान करना।
    - ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PICPC), बाल कल्याण अधिकारी (Cwo), चाइल्ड राइट क्लब, विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ संयुक्त बैठक।
- **विज्ञान संबंधी गतिविधि** :–विज्ञान एवं अन्य कठिन विषयों पर बच्चों की समझ बेहतर करने हेतु वर्ष में समय–समय पर बाल मेलों का आयोजन किया जाये। विज्ञान क्लब का गठन किया जाना चाहिए।
- **एनसीसी, स्काउड–गाइड एवं ईको क्लब** :–इन गतिविधियों में छात्र–छात्राओं को जोड़े जिससे उन्हें व्यक्तित्व विकास का मौका मिल सकें।

4. <u>विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाएं :–</u>

- **बालकों हेतु वाहन/वाउचर सुविधा** :–मा.विद्यालय/उच्च मा. विद्यालय में उन बच्चों को चिन्हित किया जाये जो नियमों के आधार पर वाहन/वाउचर कि सुविधा की श्रेणी में आ सके ताकि उन विद्यार्थियों को विद्यालय आने में प्रोत्साहन मिले।
- **स्वास्थ्य परीक्षण** :–विद्यालय विकास योजना में स्वास्थ्य परीक्षण को लिखना तथा प्रावधान अनुसार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना। स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित करने के लिए समिति के 2 सदस्यों (महिला–पुरूष) को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। परीक्षण में यदि किसी विद्यार्थी का स्वास्थ्य गंभीर होता है तो उसके अभिभावकों को सुचित किया जाये।
- **मिड डे मील** :–मिड डे मील मेन्यु के अनुसार भोजन साफ सफाई से सभी बच्चों को वितरित हो इसको समिति के सदस्य सुनिश्चित करे।
- **अतिरिक्त कक्षाऐं** :–विद्यार्थियों की दक्षता तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पढाई में कमजोर बच्चों के लिए या जरूरत के अनुसार समिति अतिरिक्त कक्षाओं के लिए योजना बना कर क्रियान्तिति सुनिश्चित करे।
- **छात्रवृत्ति व विभिन्न छात्र प्रोत्साहन योजनाओं से सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करवाना।**

विद्यालय विकास योजना

2018-19

विद्यालय का नाम

ग्राम पंचायत

जिला

1. भौतिक संसाधन

क्र. सं.	भौतिक संसाधन का नाम	वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	उत्तरदायित्व	पूर्ण करने हेतु स्त्रोत	अक्टूबर 31 तक की प्रगति	जनवरी 31 तक की प्रगति	अप्रैल 30 तक की प्रगति
1.	कक्षा (I-V)								
	कक्षा (VI-VIII)								
	कक्षा (IX-XII)								
2.	चारदीवारी								
3.	शौचालय बालक								
	शौचालय बालिका								
4.	रेम्प सुविधा								
5.	खेल मैदान								
6.	खेल सामग्री								
7.	किचन शेड								
8.	विद्युतीकरण								

पूरा कर लिया है योजना के अनुसार विलंबित है

विद्यालय विकास योजना

2018-19

1. भौतिक संसाधन

क्र. सं.	भौतिक संसाधन का नाम	वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	उत्तरदायित्व	पूर्ण करने हेतु स्त्रोत	अक्टूबर 31 तक की प्रगति	जनवरी 31 तक की प्रगति	अप्रैल 30 तक की प्रगति
	फर्नीचर सुविधा (I-V)								
9.	फर्नीचर सुविधा (VI-VIII)								
	फर्नीचर सुविधा (IX-XII)								
10.	स्वच्छ जल की व्यवस्था								
11.	पौधारोपण								
12.	विद्यालय सौन्दर्यीकरण व रंग – रोगन								
13.	दर्पण								
14.	इनसिनरएटर								
15.	CWSN सुविधायें								
16.	कचरे का डिब्बा								
17.	पंखा								
18.									

पूरा कर लिया है योजना के अनुसार विलंबित है

विद्यालय विकास योजना

2018-19

2. नामांकन के संबंध में

क्र. सं.	गतिविधि	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	पूर्ण करने हेतु स्त्रोत/ कार्ययोजना	उत्तरदायित्व	अक्टूबर 31 तक की प्रगति	जनवरी 31 तक की प्रगति	अप्रैल 30 तक की प्रगति
1.	क्षेत्र से नामांकित बच्चे (6-14)								
2.	क्षेत्र से नामांकित बच्चे (14-18)								
3.	क्षेत्र में डाप आउट हुए बच्चे								
4.	विद्यार्थी अटेंडेन्स								
5.									

3. मानवीय संसाधनों के संबंध में

क्र. सं.	गतिविधि	स्वीकृत पद	रिक्त पद	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	पूर्ण करने हेतु स्त्रोत/ कार्ययोजना	उत्तरदायित्व	अक्टूबर 31 तक की प्रगति	जनवरी 31 तक की प्रगति	अप्रैल 30 तक की प्रगति
1.	संस्था प्रधान								
2.	शिक्षक								
3.	मंत्रालय कर्मचारी								
4.	सहायक कर्मचारी								
5.	मिड डे मिल सहायिका								

पूरा कर लिया है योजना के अनुसार विलंबित है

विद्यालय विकास योजना

2018-19

4. शैक्षिक गतिविधियों में सहायक संसाधनों के संबंध में

क्र. सं.	गतिविधि	वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	पूर्ण करने हेतु स्त्रोत/ कार्ययोजना	उत्तरदायित्व	अक्टूबर 31 तक की प्रगति	जनवरी 31 तक की प्रगति	अप्रैल 30 तक की प्रगति
1.	कम्प्यूटर कक्ष मय कम्प्यूटर								
3.	शिक्षण सहायक सामग्री								
4.	पुस्तकालय								
5.	पाठ्य पुस्तक								
6.	सुस्सजित कक्षाएँ								
7.	ग्रीन बोर्ड								
8.	इंटरनेट								
9.	प्रयोगशाला								
10.									

5. सह शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में

क्र. सं.	गतिविधि	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	पूर्ण करने हेतु स्त्रोत/ कार्ययोजना	उत्तरदायित्व	अक्टूबर 31 तक की प्रगति	जनवरी 31 तक की प्रगति	अप्रैल 30 तक की प्रगति
1.	शारीरिक व्यायाम एवं खेल – कूद								
2.	बाल सभा/ शिक्षा शनिवार								
3.	प्रार्थना सभा								
4.	बाल संसद								
5.	विज्ञान क्लब/ विज्ञानमेला								
6.	एनसीसी, स्काउट, ईको क्लब								
7.									

पूरा कर लिया है योजना के अनुसार विलंबित है

विद्यालय विकास योजना

2018-19

6. विद्यार्थियों को प्रदत सुविधायें

क्र. सं.	गतिविधि	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	पूर्ण करने हेतु स्त्रोत/कार्ययोजना	उत्तरदायित्व	अक्टूबर 31 तक की प्रगति	जनवरी 31 तक की प्रगति	अप्रैल 30 तक की प्रगति
1.	विद्यालय हेतु वाहन/ वाहन वाउचर सुविधा								
2.	स्वास्थ्य परीक्षण								
3.	मिड डे मील								
4.	अतिरिक्त कक्षाएँ								
5.	स्कॉलरशिप								
6.									

SMDC समुदाय सभाध्यक्ष का नाम

SMDC समुदाय सभाध्यक्ष का नम्बर

हमारा स्कूल, हमारा सम्मान

पूरा कर लिया है योजना के अनुसार विलंबित है

School Development Plan Tracker

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक .....

School Development Plan Tracker

				Activities opted for in SDP						Were following details provided in the overall plan document?					Observations					
S No	Name of School	Category	Prepared and Shared SDP as per guidelines	Infrastructural Activities	Enrolment	Human Resource	Academic Resources	Extra Curricular	Student Benefit	Current Status	Requirement	Individual responsibility assigned	Funding Source	Timeline for completion	Has the school opted for mobilizing funds from community?	Has the school opted for utilizing/applying for money from Govt schemes such as MISY, NREGA?	Any other comments	Score on Activities Undertaken	Score on Plan Details	Total Score (Out of 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				
3																				

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–